प्रेस नोट,
दिनांक 19.05.2025, थाना कौडिया
जनपद गोण्डा।

थाना कौडिया पुलिस द्वारा डकैती/चोरी की घटना में संलिप्त शातिर डकैत/चोर को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-35/2025, धारा 309(4), 331(4), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना में संलिप्त डकैत/चोर 01. आरिफ पुत्र अकरम खान निवासी ग्राम चुंटीपुर मौजा बिरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से डकैती/चोरी की 2,000/- रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.03.2025 को वादी श्री रामगोपाल पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम कटुआनाला थाना कौडिया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौडिया में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 04/05.03.2025 को रात्रि में तीन अज्ञात लोग घर के पीछे से सीढी लगाकर तमंचा, डण्डा लेकर घर में घुस आये और डरा धमका कर मारे पीटे और घर में रखी ज्वैलरी और नगद लेकर चले गये। तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 19.05.2025 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त-01.आरिफ पुत्र अकरम खान निवासी ग्राम चुंटीपुर मौजा बिरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से डकैती/चोरी की 2,000/- रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आरिफ पुत्र अकरम खान निवासी ग्राम चुंटीपुर मौजा बिरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-35/2025, धारा 309(4), 331(4), 317(2) बीएनएस थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह
02. का0 नीरज सिंह
03. का0 इन्द कुमार यादव

अभियुक्त आरिफ पुत्र अकरम का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 416/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 133/21 धारा 379,411 आईपीसी थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 63/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगे0 एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
4. मु0अ0सं0 108/20 धारा 3/5(ए,बी) गौ हत्या व 379 आईपीसी थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 112/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
6. मु0अ0सं0 213/18 धारा 352, 436, 504, 506 आईपीसी थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
7. मु0अ0सं0 278/20 धारा 8/20 एनीपीएस एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
8. मु0अ0सं0 340/23 धारा 379, 411, 413 आईपीसी थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त आरिफ पुत्र अकरम का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 416/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 133/21 धारा 379,411 आईपीसी थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 63/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगे0 एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

4. मु0अ0सं0 108/20 धारा 3/5(ए,बी) गौ हत्या व 379 आईपीसी थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 112/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
6. मु0अ0सं0 213/18 धारा 352, 436, 504, 506 आईपीसी थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
7. मु0अ0सं0 278/20 धारा 8/20 एनिीपीएस एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
8. मु0अ0सं0 340/23 धारा 379, 411, 413 आईपीसी थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.05.2025, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध हथियार बनाने व रखने के अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 15,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 21.12.2020 को उ0नि0 हरिद्वार तिवारी मय फोर्स गस्त व देखभाल के दौरान अर्धनिर्मित तमन्चा व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद कर अभियुक्त विजेन्द्र पाल सिंह को गिरफ्तार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री रामप्रकाश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 25.02.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा थाना नवाबगंज पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल सिंह व थाना नवाबगंज के पैरोकार का0 अरूण कुमार गोड़ की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 19.05.2025 को दोषी अभियुक्त – विजेन्द्र पाल सिंह पुत्र जैसिंह निवासी बरी प्रसिद्धपुर, थाना गठिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. विजेन्द्र पाल सिंह पुत्र जैसिंह निवासी बरी प्रसिद्धपुर, थाना गठिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 530/2020, धारा 3/5/25 आर्मस एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।